रेरा उ.प्र.

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन,
ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ
Email- contactuprera@up-rera.in

संख्याः6768 / यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2026–27 दिनांकः06/07/26

आदेश

उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (जनरल) रेग्यूलेशन्स, 2019 (7वॉं संशोधन) के रेग्यूलेशन्स 54 में रियल इस्टेट एजेन्ट के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के प्राविधान का उल्लेख है।

उक्त के क्रम में प्रदेश के रियल–इस्टेट सेक्टर के विकास में भू–संपदा अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रमाणन सम्बन्धी प्राविधानों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण द्वारा विस्तृत आदेश संख्याः 105 / यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2025–26, दिनांक 05.01.2026 जारी किया गया है।

उक्त आदेश के प्रस्तर–19 में वर्णित प्राविधान के अनुसार पूर्व में पंजीकृत अभिकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2026 तक प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

उ.प्र. रेरा में पंजीकृत ऐसे समस्त अभिकर्ताओं जिनके द्वारा अभी तक एजेन्ट प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम के लिए उपर्युक्त सन्दर्भित आदेश संख्याः 105 / यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2025–26, दिनांक 05.01.2026 के प्राविधानों के अनुसार आवेदन नहीं किया गया है, उनके द्वारा अनिवार्य रूप से दिनांक 31.12.2026 के पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवेदन करना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु निम्नलिखित व्यवस्था भी निरूपित की जाती है:

1. उ.प्र. रेरा में पूर्व से पंजीकृत सक्रिय अभिकर्ताओं को मासिक आधार पर ई–मेल भेजकर प्रशिक्षण हेतु नामांकन कराने के लिए निर्देशित किया जाए और यह उल्लेख कर दिया जाए कि अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, तो उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा तथा प्रमोटर्स एवं उपभोक्ताओं को एडवाईजारी के माध्यम से सतर्क कर दिया जाएगा कि अप्रशिक्षित अभिकर्ताओं के माध्यम से परियोजनाओं में क्रय या विक्रय कराने या निवेश करने में अतिरिक्त सतर्कता बरतें।
2. समाचार माध्यमों से भी प्रमोटर्स तथा उपभोक्ताओं को नियमित अन्तराल पर जागरूक किया जाएगा और उन्हें यह परामर्श दिया जाएगा कि किसी भी एजेन्ट का परियोजना में इम्पैनलमेन्ट करने या परियोजना में निवेश करने से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाइट पर

एजेन्ट के प्रशिक्षण की स्थिति देख लें और अप्रशिक्षित एजेन्टों के माध्यम से निवेश करने या कार्य कराने में आवश्यक सतर्कता बरतें।

3. प्राधिकरण की वेबसाइट पर अप्रशिक्षित एजेन्ट के नाम के सामने "Untrained" का लेबेल अंकित कर दिया जाए।

(महेन्द्र वर्मा)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा को मा. अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. विधि सलाहकार, उ.प्र. रेरा ।
3. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. रेरा ।
4. उपसचिव (क्षे.का.)/राजस्व रिकवरी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. रेरा ।
5. सहायक निदेशक सिस्टम्स, उ.प्र. रेरा को आवश्यक कार्यवाही एवं उ.प्र. रेरा के वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. मीडिया सलाहकार, उ.प्र. रेरा को नियमित अन्तराल प्रचार–प्रसार हेतु।
7. उ.प्र. रेरा में पंजीकृत समस्त रियल इस्टेट अभिकर्ताओं एवं प्रोमोटर्स को अनुपालनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

(महेन्द्र वर्मा)
सचिव